संख्या: 9 / 2017 /389 / सत्रह-म-2017-6-9(139)/2012

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय
उ0प्र0 लखनऊ

मत्स्य उत्पादन अनुभाग **लखनऊ दिनांक 31 मार्च 2017**

विषय प्रशिक्षण गतिविधियों को सुगमता पूर्वक संचालित करने एवं शैक्षणिक भ्रमण एवं एक्सपोजर विजिट कार्य हेतु एक विभागीय मिनी बस क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 213/ सा0शा0/ वाहन क्रय/ 2017-18 दिनांक 22 मार्च,2017 का कृपया संदर्भ् ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन -आयोजनेत्तर – 001- निदेशन तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान 14 -मोटर गाडियों के क्रय हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनरशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)में से धनराशि रू0 33,40,005 की 05(पॉच) बोलेरो जीप (माडल नं0एस0एल0ई02 डब्लू डी0 डीजल बी0एस0- 4) के क्रय करने के उपरान्त अवशेष धनराशि रू016,59,995 (रू0 सोलह लाख उन्सठ हजार नौ सौ पन्चानबे मात्र) में से धनराशि रू0 16,19,880 (रू0 सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की फोर्स मोटर्स द्वारा निर्मित् मिनी बस 26 प्लस डी0 /ए0सी0पी0एस0 बी0एस0 बी0एस0 4 वाहन शैक्षणिक भ्रमण एवं एक्सपोजर बिजिट कार्य हेतु क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध् किया गया है ।

2- अवगत कराना है कि मानक मद 14-मोटर गाडियों के क्रय में प्राविधानित/ धनरशि रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र)में से धनराशि रू0 33,40,005 (रू0 तैतीस लाख चालीस हजार पॉच मात्र) की 05 बोलेरो वाहन क्रय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति शासन के आदेश संख्या -03/2017/ 355/ सत्रह-म-2017-6-9(139)/2012 दिनांक 16-03-2017 सपठित शासनादेश संख्या-6/2017/380/ सत्रह-म-2017-6-9(139)/2012 दिनांक 30 मार्च,2017 द्वारा प्रदान की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप मानक मद 14 – मोटर गाडियों के क्रय में धनराशि रू0 16,59,995 (रू0 सोलह लाख उन्सठ हजार नौ सौ पन्चानबे मात्र) अवशेष है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- अतः आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद 14- मोटर गाडियों के क्रय में अवशेष धनराशि रू0 16,59,995 (रू0 सोलह लाख उन्सठ हजार नौ सौ पन्चानबे मात्र) के सापेक्ष शैक्षणिक भ्रमण एवं एक्सपोजर विजिट कार्य हेतु मिनी बस 26 प्लस डी0 / ए0सी0पी0एस0 बी0एस0 4 वाहन क्रय किये जाने हेतु धनराशि रू0 16,19,880/- (रू0 सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1- प्रश्नगत वाहन का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा ।
2- वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जी0ई0एम0 पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा ।
3- प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल वाहन क्रय मद में किया जायेगा । किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा ।
4- प्रश्नगत वाहन हेतु अनुमन्य /स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।
5- उपरोक्त् स्वीकृति धनराशि का व्यय पूर्व निर्धारित नियमों / शर्तो के अधीन किया जायेगा ।
6- प्रश्नगत क्रय हेतु गुणवत्ता, वरीयता एवं मात्रा को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक / संयुक्त निदेशक मत्स्य का होगा ।
7- उक्त् वाहन का क्रय किसी अन्य योजना से न किया गया हो अर्थात क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो ।

2- उपरोक्त् पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या- 17 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन -आयोजनेत्तर – 001- निदेशन तथा प्रशासन -03-अधिष्ठान 14 -मोटर गाडियों के क्रय के नामें डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : /2017/389 / सत्रह- म- 2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

3- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार वाहन क्रय की समस्त आवश्यक कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ ।

5- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-2 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव ।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।